



**JHARKHAND STATE COOPERATIVE MILK PRODUCERS'
FEDERATION LIMITED
REQUEST FOR QUOTATION**

Jharkhand State Cooperative Milk Producers' Federation Ltd

Near Farmers Training Centre Campus, Sec-II, H.E.C., Dhurwa,
Ranchi – 834004, Jharkhand

Phone no: 7544003404/7360035219/0651-2443055/62

Email: purchase@jmf.coop

WEBSITE: www.jmf.coop

**TENDER INVITATION FOR REGISTRATION
OF TRANSPORTER FOR TRANSPORTATION
(LIGHT GOODS VEHICLE) OF CATTLE FEED
AND OTHER MATERIALS**

TENDER NO. JMF-PP-Cattle Feed-/2019-20/009



Date of Publish of Tender : 12 June 2019
Last date for submission of Sealed Tender : 24 June 2019 by 14:00 hrs

Name of Tenderer: _____

Address: _____

Telephone no: _____

Email Id _____



**JHARKHAND STATE COOPERATIVE MILK PRODUCERS'
FEDERATION LIMITED
REQUEST FOR QUOTATION**

BIDDING DOCUMENT

**REGISTRATION OF CONTRACTORS (LIGHT GOODS VEHICLE) FOR
TRANSPORTATION OF CATTLE FEED& OTHER MATERIALS**

(COMPLETE BIDDING DOCUMENT)

Time schedule for Tender process:

Date of publication of Tender Notification	12 June 2019
Start of Sale of Tender Document (During Office Hours)	12 June 2019
Last date for Distribution of Tender Document	22 June 2019
Last date for Receipt Tender in Sealed Envelope	24 June 2019
Date & Time of the Opening Technical Bids	25 June 2019 (17:00 hrs)
Date and Time of the opening Financial Bids	Will be notified to the technically qualified tenderers

Note: This tender document contains 7 pages (total no. of pages including Annexure) and tenderers are requested to sign on all the pages.



**JHARKHAND STATE COOPERATIVE MILK PRODUCERS'
FEDERATION LIMITED
REQUEST FOR QUOTATION**

INTRODUCTION:

When the famous White Revolution of the seventies and eighties – Operation Flood - swept through the country, Jharkhand, then a part of undivided Bihar served merely as a market and saw little of its benefits. Even though India stood self-sufficient in milk production, the eastern state of Jharkhand still depends on import of milk from other states. It was only in June 2013 when Jharkhand State Cooperative Milk Producers' Federation Ltd. (JMF) was formed by the Government of Jharkhand, with an aim to promote dairying as a source of livelihood in the rural parts of the state and propel Jharkhand towards self-reliance in milk and milk products.

JMF under the management of National Dairy Development Board (NDDB) started the milk procurement, processing and marketing activities in the state after taking over the existing Government Dairy at Ormanjhi in August 2014 and subsequently three other dairies at Deoghar, Koderma & Latehar. In 2016 NDDB supported in building a 1 Lakh Litre State of the Art Dairy Plant at Hotwar for the Jharkhand Milk Federation.

JMF has started milk procurement from 12 TLPD in August 2014 and reached up to 130 TLPD in March 2018 and has grown by more than ten-times in last three and half years of its operation. Today JMF is providing an alternative livelihood options to around 20000 rural families but initially, there was a challenge to establish JMF as a reliable institution for milk producers of Jharkhand with many inherited issues like low production and marketable surplus of milk, low interest of farmers towards animal husbandry (milch), dominance of middleman, poor dairy infrastructure etc. To overcome from such unfavourable conditions, utmost cares have been taken to maintain transparency at all levels which is the first and foremost value inherited from NDDB. As a part of maintaining transparency, we have provided milk sample testing facility to all individual pourers in their presence step by step and payment through their individual bank account. By doing this we have given fair and transparent system at village level, remunerative milk price to pourers and avoided involvement of middleman. Farmers have taken it as an opportunity and started milch animal rearing. As a result, milk procurement went up.

NDDB also agreed to lend its brand "Mother Dairy" – which is renowned for its high-quality milk and milk products in the country – to support local brand "Medha". It not only helped the brand to get established but also enable it capture a reasonable share of the Jharkhand Milk market. It is due to the consistent support that Medha receives, it is able to market about 1 lac litres of milk every day. We are thankful to and proud of the people we are associated with in this journey. It is extremely delighting to be able to touch and enrich so many lives at the same time.



**JHARKHAND STATE COOPERATIVE MILK PRODUCERS'
FEDERATION LIMITED
REQUEST FOR QUOTATION**

परिवहन हेतु निविदा पत्र

पासपोर्ट साइज़ फोटो
का स्पेस

1. आवेदक का नाम
2. आवेदक की स्थिति (व्यक्तिगत/फर्म/कम्पनी)
3. आवेदक का स्थायी पता
4. आवेदक का पत्राचार का पता
5. आवेदक का मोबाइल संख्या
6. आवेदक का पैन कार्ड संख्या
7. सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन संख्या
8. परिवहन हेतु गाड़ियों की संख्या :

स्वयं गाड़ियों की संख्या				जरूरत पढ़ने पर एकसाथ कितना गाड़ी उपलब्ध करवा सकते हैं			
3MT	4MT	5/6 MT	9 MT	3MT	4MT	5/6 MT	9 MT

9. परिवहन दर फॉर्मेट (प्रति किमी दर पर) : होटवार प्लांट से झारखंड के किसी भी स्थान के लिए

गाड़ी का अधिकतम भार वहन क्षमता	3MT	4MT	5/6 MT	9 MT
गाड़ी का प्रकार/model*				
प्रस्तावित दर, प्रति किमी (Rate/km) *				

*जैसे, Bolero Pick up/Tata pick up/Tata 407/ TATA 709/TATA1109 इत्यादि

****निविदा में भरे गये परिवहन दर 10 जून 2019 को प्रचलित डीजल की कीमत (RATE) पर आधारित होंगी।**

दिनांक

निविदादाता का हस्ताक्षर
(मुहर के साथ)



**JHARKHAND STATE COOPERATIVE MILK PRODUCERS'
FEDERATION LIMITED
REQUEST FOR QUOTATION**

10. परिवहन दर फॉर्मेट (प्रति बैग दर पर) : होटवार से विभिन्न स्थान तक अनलोडिंग के साथ

स्थान /विवरण	परिवहन दर, (रू०प्रति बैग) A	अनलोडिंगदर (रू०प्रति बैग) B	कुल दर (रू० प्रति बैग) C=A+B
प्रस्तावित दर, होटवार से राँची, खूँटी, रामगढ़ जिला के विभिन्नगाँव तक			
प्रस्तावित दर, होटवार से लोहरदगा जिला के विभिन्न गाँव तक			
प्रस्तावित दर, होटवार से बोकारो जिला के विभिन्न गाँव तक			

नोट :

- संवेदक डिमांड के अनुसार विभिन्न वाहन क्षमता वाली (1.5 एमटी/3एमटी/4एमटी/6एमटी इत्यादि) गाड़ी उपलब्ध करवा सकते हैं
- निविदा में भरे गये परिवहन दर 10 जून 2019 को प्रचलित डीजल की कीमत (RATE) पर आधारित होंगी।

दिनांक

निविदादाता का हस्ताक्षर
(मुहर के साथ)



**JHARKHAND STATE COOPERATIVE MILK PRODUCERS'
FEDERATION LIMITED
REQUEST FOR QUOTATION**

परिवहन निविदा की मुख्य शर्तें

1. निविदादाता निविदा प्रपत्र की शर्तों को भली-भांति पढ़कर एवं समझकर भरेंगे। अगर निविदा संबंधी कोई जानकारी / स्पष्टता प्राप्त करनी है तो मुख्य कार्यालय के फ़ोन नो 7544003404 पर संपर्क किया जा सकता है।
1. निर्गत निविदा प्रपत्र में भरी गई निविदा ही स्वीकार की जायेगी। **भरी गई निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता का मुहर के साथ हस्ताक्षर अनिवार्य है।**
2. निविदा के साथ अग्रधन की राशि रुपये 2000/- मात्र (दो हजार रुपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट जो "झारखण्ड स्टेट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड" के नाम होगा तथा राँची में भुगतान होगा अग्रधन के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निविदा में असफल निविदादाता का अग्रधन चेक के द्वारा वापस कर दिया जायेगा।
3. निविदा में भरे गये परिवहन दर 10 जून 2019 को प्रचलित डीजल की कीमत (RATE) पर आधारित होंगी।
4. निविदा में भरे गये दर में परिवहन संबंधी सभी खर्च एवं सर्विस टैक्स शामिल होंगे। संवेदक द्वारा समर्पित विपत्रों में से नियमानुसार सर्विस टैक्स एवं इनकम टैक्स (TDS) की कटौती के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा।
5. सामान परिवहन के दौरान रास्ते में वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में निर्धारित गन्तव्य स्थानों तक परिवहनकर्ता को अपने खर्च पर (लोडिंग-अनलोडिंग के साथ) दूसरे वाहन से भेजने की व्यवस्था अविलम्ब करना होगा, ताकि पशुआहार, मिनरल मिक्सचर, चारा बीज एवं अन्य सामग्री की बर्बादी न हो, तथा समय गन्तव्य स्थान पर आपूर्ति हो पाये।
6. सामान परिवहन के दौरान रास्ते में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त खर्च (टोल टैक्स छोड़कर) परिवहन कर्ता की जिम्मेदारी होगी। परिवहन बिल के साथ टोल टैक्स पर्ची जमा करने पर अतिरिक्त भुगतान दिया जाएगा।
7. विशेष परिस्थिति में किसी दिन गाड़ी लोड / अनलोड नहीं होने की स्थिति में किसी प्रकार का हर्जाना का दावा मान्य नहीं होगा।
8. ट्रक लोडिंग का कार्य पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 4.30 बजे तक ही किया जायेगा ताकि अपराह्न 5:00 बजे तक चालान आदि प्रपत्र निर्गत किया जा सके।
9. झारखण्ड मिल्क फेडरेशन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सामग्री ले जाकर निर्धारित गन्तव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंचाना तथा वहाँ से पावती कराकर चालान / रिसीट JMF ऑफिस में जमा करना अनिवार्य होगा।
10. संवेदक जिन्हें कार्य आवंटित होगा उनके द्वारा भेजी गई गाड़ी के चालक, खलासी द्वारा किसी जेएमएफ़ कर्मचारी, कारखाना/कार्यालय को किसी प्रकार की क्षति पहुँचाई गई तो उसकी जिम्मेवारी संवेदक की होगी तथा उसकी भरपाई करनी होगी अथवा उनके परिवहन बिल से कटौती की जायेगी।
11. सामान परिवहन के समय, सामग्री भीगे रूप में पाये जाने, गिनती में कम पाये जाने एवं किसी अन्य प्रकार के क्षति के लिये परिवहन संवेदक जिम्मेवार होंगे। उस स्थिति में उनके परिवहन बिल से सममूल्य धनराशि की कटौती की जायेगी।
12. गाड़ी की माँग जे.एम.एफ़. द्वारा समय समय पर की जायेगी एवं जिसकी सूचना 1-2 दिन पूर्व दे दिया जाएगा।



**JHARKHAND STATE COOPERATIVE MILK PRODUCERS'
FEDERATION LIMITED
REQUEST FOR QUOTATION**

13. यदि परिवहन संवेदक द्वारा गाड़ी माँग की पूर्ति पूर्णतः या अंशतः लगातार 3दिनतक नहीं की जाती है, JMF अन्य स्रोत से गाड़ी की व्यवस्था कर सामग्री आपूर्ति करने के लिये पूर्णतः स्वतंत्र होगा। उक्त मद में खर्च हुए अतिरिक्त राशि को संवेदक के परिवहन विपत्र से समायोजित/कटौती की जाएगी।
14. यदि कुल गंतव्यों में से एक या अधिक निविदादाता सफल होते हैं तो वैसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार सुरक्षित होगा की वह बाँट कर एक या एक से अधिक निविदादाताओं को परिवहन कार्य दे सकते हैं।
15. ईंधन के मूल्य में वृद्धि या कमी होने की स्थिति में वाहन के प्रति किमी व्यय पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुसार दर में वृद्धि या कमी की जायेगी। इस दशा में संबंधित वाहन की कम्पनी के द्वारा घोषित माईलेज मान्य होगा। इसकी गणना जे० एम० एफ़० द्वारा निर्धारित फ़ॉर्मूला एवं शर्तों के आधार पर ही की जायेगी, जिसे कॉन्ट्रैक्टर को स्वीकार करना होगा। निर्धारित फ़ॉर्मूला जे० एम० एफ़० द्वारा निर्गत किया गया कायदेशि मे वर्णित होगा। यह कमी/वृद्धि ईंधन के मूल्य मे समेकित रूप से 3.00 रुपए प्रति लीटर की दर से कमी/वृद्धि होने पर ही मान्य होगी
16. सफल निविदादाता जिन्हें कायदेशि निर्गत होगा, उन्हें प्रति माह की सात तारीख तक भुगतान हेतु सारे संबंधित प्रपत्रों को अपने परिवहन बिल के साथ समर्पित करना होगा, सारे विपत्र के जांचोपरान्त विपत्र का भुगतान चेक/बैंक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।
17. सफल निविदादाता को झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के साथ RS. 100 स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा एवं सिक्क्योरिटी राशि जमा करना होगा, जो वाहन के क्षमता के आधार पर तय किया जायेगा।
18. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रबंध निदेशक, जे०एम०एफ़० मध्यस्थ होंगे तथा उनका निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों को मान्य होगा।
19. बिना कारण बताये एक या सभी निविदा को किसी भी स्तर में रद्द करने का अधिकार प्रबंध निदेशक, झारखण्ड मिल्क फेडरेशन को सुरक्षित रहेगा।

निविदा की सभी शर्त स्वीकार्य एवं मान्य है

दिनांक :

निविदादाता का हस्ताक्षर
(मुहर के साथ)